न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1, मुजफ्फरनगर।
बेल नं० 4216/12A/2026

16.07.2026

अभियुक्तगण पंकज पुत्र स्व 0 रामदास, अजय पुत्र हरिनंदन व कार्तिक पुत्र राजवीर सिंह की ओर से मु०अ०सं० 60 सन् 2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 351(2), 131 बी.एन.एस. थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण बेगुनाह व बेकसूर है। मुलजिम ने कोई अपराध किसी प्रकार का नही किया है। अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अपराध अजमानतीय है तथा जमानत का विरोध किया जाता है।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है। अभियुक्तगण पर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्तगण प्रत्येक को 25,000/– 25,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(डा0 डी0 एस 0 फौजदार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं0 1 मुजफ्फरनगर